शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–3111 /सत्तर–3–2021–08(20)/2020

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनॉक 28 दिसम्बर, 2021**

विषयः–कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत गृह गोपन अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2141/2021–सीएक्स–3, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी :–

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के कुलसचिव/प्रबन्धक एवं प्राचार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ–साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

NIKHI G.O.

संख्या–3111 (1)/सत्तर–3–2021, तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक सं0 06 /सा०प्र०/2022 दिनांक02/01/2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त–संकायाध्यक्ष।
2. समस्त–विभागाध्यक्ष।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
4. प्रभारी, ई.डी.पी. सेल।
5. प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय।
7. सूचना केन्द्र।

03.01.22

कुलसचिव

Nikhil G.O.